


Publication Amar Ujala Language Hindi Edition New Delhi Journalist Bureau

13/03/2024 10 Date Page no

**CCM** 12.04

Shah will inaugurate new office buildings of three multi-state cooperative societies today

## शाह तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों के नये कार्यालय भवन का आज करेंगे उद्घाटन नई दिल्ली। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित



शाह 13 मार्च को नई दिल्ली के नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तीन बहराज्यीय सहकारी समितियों- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और

नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। तीनों समितियों के नये कार्यालय भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में सहकारिता मंत्रालय की एक और महत्वपूर्ण पहल है। नये भवन के बनने से तीनों समितियां निर्बाध रूप से काम कर सकेंगी। ब्यूरो



Publication Rajasthan Patrika Language Hindi
Edition New Delhi Journalist Bureau
Date 13/03/2024 Page no 2

CCM 27.53

New office of BBSSL, ACOL and NCEL will open

## अमित शाह करेंगे उद्घाटन बीबीएसएसएल, एसीओएल और एनसीईएल का नया ऑफिस खुलेगा



## पत्रिका ब्यूरो patrika.com

नई दिल्ली .राजधानी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन बुधवार को होगा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे।

तीनों समितियों और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन "सहकार से समृद्धि" के विजन को साकार करने की दिशा में सहकारिता मंत्रालय की एक और महत्वपूर्ण पहल है। काफी समय से तीनों समितियों के लिए अलग कार्यालय भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और अब यह तीनों समितियां निर्बाध रूप से काम कर सकेंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की तीन बहराज्यीय सहकारी

## उपज-बीज खरीदेंगे

ये तीनों समितियाँ कृषि एवं संबंधित गितिविधियों से जुड़े लोगों का विकास सुनिश्चित करेंगी और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों से कृषि उपज और बीज खरीदेंगी। इससे पैक्स और मजबूत होंगे क्योंकि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही समितियाँ यह भी सुनिश्चित करेंगी कि नेट सरप्लस यानी शुद्ध अधिशेष पर मुनाफा सीधे किसानों के खातों में पहुँचे।

समितियों के गठन को मंजूरी दी है। यह समितियां निर्यात, जैविक उत्पाद, और बीज के क्षेत्र में काम कर रही हैं और एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं। तीनों के लिए निर्धारित गतिविधियों में रिच रखने वाली सभी स्तरों की सहकारी समितियां इसकी सदस्यता के लिए पात्र हैं, यानी ' पैक्स और एपैक्स तक सभी इसके सदस्य बन सकते हैं।

\*\*\*\*\*

